सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, मध्यप्रदेश
लिंक रोड क्रमांक-3, भोपाल – 462016
ई-मेल : **dir.socialjustice@mp.gov.in**

क्रमांक/कन्या वि./1410354/I/1209092/2026 भोपाल, दिनांक 01-08-2026

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,
   सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण,
   मध्यप्रदेश।

विषयः- मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सहायता योजना के विवाह पोर्टल में निर्धारित समय-सीमा उपरांत आवेदन एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला स्तर पर पोर्टल अनलॉक (Open) किए जाने के संबंध में।

------०------

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्र क्रमांक**एफ-3-39/2017/26-2, दिनांक 22.04.2022** द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सहायता योजना (संशोधित योजना-2022) के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

योजना के **बिंदु क्रमांक-12** के अनुसार विवाह हेतु प्राप्त आवेदनों की पात्रता का परीक्षण एवं चयन करने के लिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पृथक-पृथक जांच समितियों का गठन किया गया है। संबंधित जांच समिति द्वारा आवेदन-पत्रों का परीक्षण कर पात्र/अपात्र हितग्राहियों का विवरण विवाह पोर्टल पर दर्ज किया जाना है। यह संपूर्ण कार्यवाही सामूहिक विवाह कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से **07 दिवस पूर्व** पूर्ण किया जाना संबंधित निकाय की जिम्मेदारी है।

इसी प्रकार योजना के **बिंदु क्रमांक-21** के अनुसार हितग्राहियों की जानकारी संबंधित निकाय द्वारा विवाह पोर्टल पर अपलोड की जानी है। साथ ही हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र, संलग्न दस्तावेज, अभिलेख एवं कार्यक्रम के छायाचित्रों का संधारण कम से कम **05 वर्ष** तक अनिवार्य रूप से किया जाना है।

वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सहायता योजना के विवाह पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यप्रणाली एवं समय-सीमा निर्धारित है—

1. विवाह/निकाह की निर्धारित तिथि से **एक दिवस पूर्व** तक हितग्राहियों के आवेदन पोर्टल पर दर्ज किए जा सकते हैं।
2. विवाह/निकाह की निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर उन्हें पात्र/अपात्र घोषित किए जाने की कार्यवाही की जा सकती है।
3. विवाह/निकाह कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत **07 दिवस** की अवधि तक हितग्राहियों की उपस्थिति पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है।
4. हितग्राहियों की उपस्थिति दर्ज होने के उपरांत उन्हें प्रदाय की गई सहायता राशि के भुगतान का विवरण विवाह पोर्टल पर दर्ज किया जाता है।

यह संज्ञान में आया है कि अनेक प्रकरणों में तकनीकी अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से विवाह पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर हितग्राहियों के आवेदन दर्ज करना, आवेदन को पात्र/अपात्र घोषित करना, हितग्राहियों की उपस्थिति दर्ज करना अथवा सहायता राशि के भुगतान का विवरण निर्धारित समय पर दर्ज नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप पोर्टल अनलॉक किए जाने हेतु जिलों/जनपदों द्वारा संचालनालय को अनेकों प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं।

यह भी पाया गया है कि ऐसे अनेक प्रस्तावों में विलंब के स्पष्ट एवं तथ्यात्मक कारणों का उल्लेख नहीं किया जाता है। संचालनालय द्वारा स्पष्टीकरण अपेक्षित किए जाने के उपरांत भी कई प्रकरणों में समय पर पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं, जिससे पोर्टल अनलॉक किए जाने संबंधी निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब होता है। फलस्वरूप **सी.एम. हेल्पलाइन में काफी संख्या में** शिकायतें लंबित रहती हैं तथा हितग्राहियों को सहायता राशि का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है।

अतः भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से बचने, प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं हितग्राहियों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से निर्धारित समय-सीमा के उपरांत विवाह पोर्टल पर हितग्राहियों के आवेदन दर्ज करने, आवेदन को

पात्र/अपात्र घोषित करने, हितग्राहियों की उपस्थिति दर्ज करने तथा सहायता राशि के भुगतान संबंधी विवरण दर्ज करने हेतु आवश्यक होने पर पोर्टल अनलॉक किए जाने के प्रकरणों में संबंधित जिले के कलेक्टर को सक्षम एवं अधिकृत किया जाता है।

कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि पोर्टल अनलॉक किए जाने की अनुमति केवल वास्तविक, न्यायोचित एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ही प्रदान की जाए। प्रत्येक प्रकरण में विलंब के कारणों का समुचित परीक्षण किया जाए तथा संबंधित अभिलेखों एवं कारणों का विधिवत अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक अथवा लेखा परीक्षण संबंधी आपत्ति उत्पन्न न हो।

Digitally signed by
KRISHNA GOPAL TIWARI
Date: 01-08-2026
15:33:37

आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण,
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./कन्या वि./1410354/I/1209092/2026 भोपाल, दिनांक 01-08-2026
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान किये जाने हेतु।
3. श्री योगेश सिंह, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एनआईसी मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान किये जाने हेतु।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त आयुक्त नगर निगम, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर परिषद, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण,
मध्यप्रदेश